न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 37/2024

1. नियति उम्र 10 साल पुत्री बनवारीलाल
2. हार्दिक उम्र 7 साल पुत्र बनवारीलाल
   नाबालिकान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता संजू पत्नि बनवारीलाल उम्र 32 साल जाति कुमावत निवासी घोडेला की ढाणी, बबेरवालो की ढाणी, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल उम्र 42 साल पुत्र पोखर जाति कुमावत निवासी घोडेला की ढाणी, बबेरवालो की ढाणी, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील जोबनेर।
3. सब रजिस्ट्रार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :– 11/06/2025

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी वाके ग्राम बबेरवालो की ढाणी प0ह0 जोबनेर भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात खाता सं0 104 की आराजी ख0न0 341 रकबा 0.0253 है0 ख0न0 349 रकबा 0.0379 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/20 हिस्सा है तथा खाता सं0105 की आराजी ख0न0 350 रकबा 5.8926 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 48/1165 हिस्सा, खाता सं0106 की आराजी ख0न0 329/2 रकबा 0.0126 है0, ख0न0 329/3 रकबा 0.0252 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/20 हिस्सा, खाता सं0 347 की आराजी ख0न0 986/329 रकबा 7.5569 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 2222/75569 हिस्सा, खाता सं0361 की आराजी ख0न0 982/332 रकबा 0.2830 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं01 को पोखर की मृत्यु से विरासत से प्राप्त हुई। जिसमे वादीगण अपने पिता प्रतिवादी सं01 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है उक्त आराजीयात का उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपभोग करते आ रहे है तथा वादीग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी सं01 मे दर्ज हिस्से मे वादीगण का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं01 का है।

उक्त आराजी स्व0पोखर से प्रतिवादी सं01 को विरासत मे मिली है तथा स्व0पोखर वादीगण का दादा लगता था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जो प्रतिवादी सं01 को स्व0पोखर की विरासत से प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त आराजी मे वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार स्व0पोखर के परिवार मे जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हो गये है इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीगण प्रतिवादी सं01 के साथ काबिज काश्त होकर उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण का बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हुआ है यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनकी पैत्रिक सम्पत्ति से वंचित कर बेदखल कर दिया व खुर्दबुर्द कर विक्रय कर अन्य को काबिज करवा दिया तो वादीगण को असहनीय हानि होगी तथा वह अपनी पैत्रिक सम्पति से वंचित हो जायेगे जिससे वादीगण को काफी असुविधा होगी ऐसी स्थिति मे वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। इस कारण यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादकारण दिनांक 24/4/2024 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं01 ने विवादित आराजी को विक्रय कर खुर्दबुर्द करने व कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी से उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है इस प्रकार वाद अंदर मियाद पेश है। वादीगण नाबालिगान है जिनकी प्राकृतिक संरक्षक माता संजू है जो नाबालिंगान के हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए जरिये संरक्षक वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जाकर अनुमति लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरूद्व प्रतिवादी सं01 डिक्री किया जाकर विवादित आराजी वाद पत्र के मद नं02 मे वर्णित मे प्रतिवादी सं01 के राजस्व खातेदारी मे दर्ज हिस्से मे वादी सं01 व वादी सं02 को 1/3, 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी सं01 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी रूप से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल नही करे न कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न करे, ना ही कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

करने का प्रयास करे, तथा ना ही उक्त आराजी को रहन बैय विक्रय, बेचान, हस्तांतरण, दान इत्यादि से खुर्दबुर्द करे, ना ही राजस्व अभिलेखो मे परिवर्तन करवाये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 सन्जू कुमावत द्वारा शपथ पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो पोखर पुत्र भैरू के वारिस है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 341, 349 में प्रतिवादी सं0 1 का 1/20 हिस्सा है तथा आराजी खसरा नं0 350 में प्रतिवादी सं0 1 का 48/1165 वां हिस्सा है तथा आराजी खसरा नं0 329/2, 329/3 में प्रतिवादी सं0 1 का 1/20 वां हिस्सा है तथा खसरा नं0 986/329 में प्रतिवादी सं0 1 का 2222/75569 वां हिस्सा है, खसरा नं0 982/332 में प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 वां हिसा है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं0 1 को वादीगण के दादा और प्रतिवादी सं0 1 के पिता पोखर पुत्र भैरू की मृत्यु पर विरासत मे प्राप्त हुई है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तेनी भूमि है। वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिससे संयुक्त हिन्दू परिवार में जन्म के साथ ही प्रतिवादी सं0 1 के नाम विरासत से आई आराजी में जन्म से ही वादीनी सं0 1 का 1/3, वादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा निहित है जिसको वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बाई बर्थ हिस्सा निहित है। जिस कारण वादिगण वादग्रस्त आराजी पर जन्म से ही काबिज काश्त है और अपने माता पिता के साथ उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है।

वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 सन्जू कुमावत को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जिनमें जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 104 प्रर्दश ए–1, जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 105 प्रर्दश ए–2, जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 106 प्रर्दश ए–3, जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 347 प्रर्दश ए–4, जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 361 प्रर्दश ए–5 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी तह0 जोबनेर की जमाबंदीया पेश की है। खसरा नंबर 329/1, 329/2, 329/3 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी की जमाबंदी चौसला संवत 2065–2068 पेश किया है, जो प्रर्दश ए–6 है। खसरा नं0 341, 349, 350 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी की जमाबंदी चौसला 2061–2064 पेश किया, जो प्रर्दश ए–8 है। खसरा नंबर 329/1, 329/2, 329/3 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी की जमाबंदी चौसला संवत 2061–2064 पेश किया है, जो प्रर्दश ए–9 है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

नंबर 329/1, 329/2, 329/3 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी की जमाबंदी चौसला संवत 2057–2060 पेश किया है, जो प्रर्दश ए–10 है। उक्त समस्त प्रर्दश में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम जरिए विरासत खातेदारी में दर्ज होना वादीगण ने साबित किया है।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–2 कालूराम कुमावत को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहरान करते हुए निवेदन किया कि आराजीयात खाता सं0 104 की आराजी ख0न0 341 रकबा 0.0253 है0 ख0न0 349 रकबा 0.0379 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/20 हिस्सा है तथा खाता सं0105 की आराजी ख0न0 350 रकबा 5.8926 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 48/1165 हिस्सा, खाता सं0106 की आराजी ख0न0 329/2 रकबा 0.0126 है0, ख0न0 329/3 रकबा 0.0252 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/20 हिस्सा, खाता सं0 347 की आराजी ख0न0 986/329 रकबा 7.5569 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 2222/75569 हिस्सा, खाता सं0361 की आराजी ख0न0 982/332 रकबा 0.2830 है0 मे प्रतिवादी सं01 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं01 को पोखर की मृत्यु से विरासत से प्राप्त हुई। जिसमे वादीगण अपने पिता प्रतिवादी सं01 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी सं01 मे दर्ज हिस्से में वादीगण का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं01 का है। अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाकर वादीगण को जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया। वादीगण ने जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता वाद पत्र पेश किया गया। जिसमें इस आशय की घोषणा चाही गयी है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत जन्म लेते ही पैतृक सम्पति में हित निहित हो जाता है। न्यायालय को वादी के वाद पत्र में यह देखना है कि वादीगण पोखर के वंशज है। जो रिश्ते में पौत्र–पडपौत्र लगते है जो वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में पेश की गयी सिजरा खानदान से साबित होती है। जिसके समर्थन में वादी द्वारा अपने वाद पत्र में शपथ पत्र पेश किया गया है। चुकि पैतृक सम्पति के संबंध में घोषणा चाही गयी है। न्यायालय को यह भी देखना है कि उक्त आराजीयात पैतृक है अथवा स्वअर्जित है। वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये है। उनका अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजों से साबित किया है, यह

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

संपति पोखर की है। जिस संपति के संबंध में घोषणा चाही गयी है वह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में इन्द्राज है। चुकि उक्त वाद पत्र में वादीगण द्वारा जो घोषणा चाही गयी है वह अपने पिता प्रतिवादी संख्या 01 से इस आधार पर चाही गयी है कि प्रतिवादी सं0 1 वादीगण का पिता है एवं पिता को जो सम्पति प्राप्त हुई है, वह वादीगण के दादा स्व0 पोखर से प्राप्त हुई है। जो वादीगण द्वारा अपने दस्तावेजों द्वारा न्यायालय में साबित की गयी है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद पत्र में जो घोषणा चाही गयी है। उसकी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः आज्ञा है किः–

वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। चुकि वाद पत्र जरिये संरक्षिका द्वारा पेश किया गया है। जो प्राकृतिक संरक्षक माता है। माता ने अपने वाद पत्र के कथनों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ना तो लालन पालन किया जा रहा ना ही भरण पोषण किया जा रहा है। वादीगण जो नाबालिक है उनको अपने हक से वंचित करने के लिए सम्पति को खुर्द बुर्द करने को तैयार है। वादीगण की माता प्राकृतिक संरक्षिका है। इसलिए नाबालिक वारिसान का हित ध्यान में रखते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादीगण को जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता आराजीयात खाता सं0 104 की आराजी ख0नं0 341 रकबा 0.0253 है0 ख0नं0 349 रकबा 0.0379 है0 तथा खाता सं0105 की आराजी ख0नं0 350 रकबा 5.8926 है0, खाता सं0106 की आराजी ख0नं0 329/2 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 329/3 रकबा 0.0252 है0, खाता सं0 347 की आराजी ख0नं0 986/329 रकबा 7.5569 है0, खाता सं0361 की आराजी ख0नं0 982/332 रकबा 0.2830 है0 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी तहसील जोबनेर, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी को वादीगण व प्रतिवादी संख्या को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला-जयपुर

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर,** जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी **देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस0,**

वाद पत्र संख्या– 37/2024

1. नियति उम्र 10 साल पुत्री बनवारीलाल
2. हार्दिक उम्र 7 साल पुत्र बनवारीलाल

   नाबालिकान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता संजू पत्नि बनवारीलाल उम्र 32 साल जाति कुमावत निवासी घोडेला की ढाणी, बबेरवालो की ढाणी, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र पोखर जाति कुमावत निवासी घोडेला की ढाणी, बबेरवालो की ढाणी, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील जोबनेर।
3. सब रजिस्ट्रार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस0 ब हाजरी** श्री सुरेश कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई एवं सरकार पैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वादीगण नियति वगै0 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा खातेदारी निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है:–

वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। वादीगण को जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता आराजीयात खाता सं0 104 की आराजी ख0नं0 341 रकबा 0.0253 है0 ख0नं0 349 रकबा 0.0379 है0 तथा खाता सं0 105 की आराजी ख0नं0 350 रकबा 5.8926 है0, खाता सं0106 की आराजी ख0नं0 329/2 रकबा 0.0126 है0, ख0नं0 329/3 रकबा 0.0252 है0, खाता सं0 347 की आराजी ख0नं0 986/329 रकबा 7.5569 है0, खाता सं0 361 की आराजी ख0नं0 982/332 रकबा 0.2830 है0 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी तहसील जोबनेर, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी को वादीगण व प्रतिवादी संख्या को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 11 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया।

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया		पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.......	04			अर्जी दावा.......		
स्टाम्प वकालतनामा....	01			स्टाम्प वकालतनामा....	00	
स्टाम्प वजह सबूत......				स्टाम्प वजह सबूत......		
महनताना वकील......				महनताना वकील......		
खर्चा गवाहान......				खर्चा गवाहान......		
फीस कमिश्नर......				फीस कमिश्नर......		
बाबत् इजराय हुक्मनामा......				बाबत् इजराय हुक्मनामा......		
मुतफर्रिक.......	06			मुतफर्रिक.......	00	
मीजान.......				मीजान.......		
कुल	11				00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर